

प्रेषक,

तहसीलदार,
कनालीछीना।

सेवा में,

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
पिथौरागढ़।

पत्रांक: ज्ञाप / ई-डिस्ट्रिक्ट / क0सहा0 / 2018-19

दिनांक 04.04.2018


विषय- पंकज सिंह पुत्र बिशन सिंह, ग्राम- बथौली के प्रमाण पत्र संख्या UK05CAC0804/170000514 दिनांक 01.06.2017 के निरस्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्र संख्या -16/xv-विविध /स्कूटनी -2017 दिनांक फरवरी 2018 के परिपालन में श्री पंकज सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह ग्राम बथौली (सिराड़) पट्टी बारमों, तहसील कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़ द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर को त्रुटिपूर्ण जारी गोरखा समुदाय (अन्य पिछड़ा वर्ग) का जारी प्रमाण पत्र संख्या UK05CAC0804/170000514 दिनांक 01.06.2017 को प्राप्त किया गया है। प्रकरण में जांच हेतु गठित स्कूटनी कमेटी द्वारा दिनांक 03.02.2018 को पारित आदेश की प्रति के अनुसार श्री पंकज सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह ग्राम बथौली (सिराड़) पट्टी बारमों का गोरखा जाति प्रमाण पत्र संख्या UK05CAC0804/170000514 दिनांक 01.06.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने उक्त गोरखा जाति प्रमाण का विवरण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की वेबसाइट पर तहसील व खण्डवार रखवाने हेतु आदेशित किया है।

अतः श्री पंकज सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह ग्राम बथौली (सिराड़) पट्टी बारमों, तहसील कनालीछीना के प्रमाण पत्र संख्या UK05CAC0804/170000514 दिनांक 01.06.2017 को तहसील व विकास खण्डवार रखवाने का कष्ट करे।

भवदीय,


तहसीलदार,
कनालीछीना।

- प्रतिलिपि- 1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्र संख्या -16(05)/xv-विविध /स्कूटनी -2017 दिनांक 27.03.2018 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी महोदय डीडीहाट को सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार,
कनालीछीना।